न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट :– 34 / 2017

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये :– श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां

(प्रार्थी)

बनाम

श्री हेमन्त कुमार पुत्र श्री रामचरण उम्र 30 वर्ष जाति खाती निवासी राजीव पाठशाला के पास वार्ड नं. 9 मण्डोला वार्ड बारां (मौके पर मौजूद विक्रेता व मालिक) मैसर्स विनायक डेयरी, तेल फेक्ट्री बाबजी नगर रोड़ बारां (राज.)

(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2– श्री लोकेश दाधीच अभिभाषक (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 25.03.2019

प्रकरण श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 12.3.2017 को मैसर्स विनायक डेयरी, तेल फैक्ट्री बाबजी नगर रोड़ बारॉ पर पहुंचा। वहॉ पर श्री हेमन्त कुमार पुत्र श्री रामचरण खाती (मौके पर मौजूद मालिक एवं विक्रेता) की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 12.3.2017 को कार्या. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक / एच / पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारां आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ पर खाद्य पदार्थ क्रीम (मिडियम फेट) जो लगभग 2 कि0ग्रा0 स्टील की भगोनी में विक्रय हेतु रखे हुये थे। मैने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **क्रीम (मिडियम फेट)** में मिलावटी व मिथ्याछाप का शक होने पर, विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **क्रीम (मिडियम फेट)** विक्रेता से 800 ग्राम को साफ सुखी तपेली में तुलवाकर वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदी, जिसकी कीमत श्री हेमन्त कुमार पुत्र श्री रामचरण को 160/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहन श्री राम चरण व श्री नृसिंह के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **क्रीम (मिडियम फेट)** 800 को चार नमूना भागो में अलग–अलग चार नमूना भाग में कर खाली साफ एवं सूखी कांच के जारों में बराबर बराबर भरकर प्रत्येक जार में परीरक्षक फार्मलीन की 20–20 बूंदे डालकर प्रत्येक जार को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने पर चिपकाये और लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना भागो को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना जार पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–705 नियमानुसार चारो नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई मे फविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहो के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे तथा मैनें भी नमूना भागो पर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री हेमन्त कुमार पुत्र श्री रामचरण ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सीलन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 06 की प्रमि के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. बारां को जमा कर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ के पत्र क्रमांक–एफएसएसए/2017/98 दिनांक 07.04.2017 से ज्ञात हुआ कि खाद्य एवं मानक प्रयोशाला कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 182/FSSA/Kota/Act/2017/151 दिनांक 27.03.2017 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, खाद्य पदार्थ **क्रीम (मिडियम फेट)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(ZX) के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी से फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र की सूचना चाही गई। अप्रार्थी द्वारा प्रतिउत्तर मे कोई जवाब नही दिया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 01.12.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्ये सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य खाद्य पदार्थ **क्रीम (मिडियम फेट)** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच मे **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत जवाब के कथनों को दोहराते हुये कहा गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ **क्रीम (मिडियम फेट)** का नमूना लेते समय नमूना लेने का कारण फार्म नं0 5ए में स्पष्ट नही किया है। अप्रार्थी द्वारा खाद्य पदार्थ में किसी प्रकार की मिलावट नही की गई है। खाद्य पदार्थ के नमूने में बी.आर. रीडिंग 44.8 बताई गई है जिसके लिए निर्धारित 40.0 से 44.0 तक मिल्क फेट है, 0.8 मात्र वेरीयेशन बताया गया है जो अल्प मात्रा का है। सेम्पल लेने की प्रक्रिया सही नही होने से आया है। प्रकरण में प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट सक्षम प्राधिकृत प्रयोगशाला द्वार नही की गई है। परीक्षण की अवधि 16.03.2017 से 27.03.2017 तक 11 दिन लगभग की बताई हुई है, जिसका कोई दस्तावेज भी पत्रावली में नही है और सब स्टेण्डर्ड का कोई आधार/कारण रिपोर्ट में दर्ज न होने से रिपोर्ट प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है। एफ.एस.एस.एक्ट के नियमों व विनियमों के अधीन प्रस्तुत न होने से कार्यवाही निरस्तनीय है, साथ ही अप्रार्थी द्वारा कहा गया कि अप्राथी बहुत गरीब व्यक्ति है, जो छोटी सी दुध की डेयरी लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। अप्राथी की मॉ केंसर रोग से पीडित है। अप्राथी की हालत बहुत गरीब स्थिति में है। उक्त प्रकरण की प्रार्थी को काफी टेंशन रहती है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी के विरूद्व उक्त कार्यवाही निरस्त फरमाने की कृपा करे।

हमने प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी की उभपक्षीय बहस सुनी और उस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया, खाद्य पदार्थ **क्रीम (मिडियम फेट)** में **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 51 के तहत, अप्रार्थी की उसकी कमजोर आर्थिक स्थित को देखते हुये, अप्रार्थी को 5,000/– रूपये अक्षरे पॉच हजार रूपये मात्र के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)